

# उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ०प्र० सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ-226008

वेबसाइट: [hajcommittee.up.gov.in](http://hajcommittee.up.gov.in) ; ई-मेल : [hajcommittee.up@gmail.com](mailto:hajcommittee.up@gmail.com)

पत्रांक : जी-11/440/एस.एच.सी/2024

दिनांक : 07/10/2024

—: प्रेस विज्ञप्ति :-

1. हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा सकुलर-8 दिनांक 07 अक्टूबर, 2024 जारी किया गया है जिसमें हज-2025 के चयनित हज यात्रियों को अपनी प्रथम किस्त रु 1,30,300/- जमा करने के निर्देश दिये गये हैं।
2. प्रथम किस्त दिनांक 08.10.2024 से 21.10.2024 तक जमा की जा सकेगी।
3. चयनित हज यात्री धनराशि ऑनलाइन वेबसाइट <https://hajcommittee.gov.in> व हज सुविधा एप पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यू०पी०आई के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
4. धनराशि हज कमेटी आफ इण्डिया के स्टेट बैंक आफ इण्डिया व यूनियन बैंक आफ इण्डिया के खाते में भी जमा की जा सकती है, वेबसाइट <https://hajcommittee.gov.in> व [www.hajcommittee.up.gov.in](http://www.hajcommittee.up.gov.in) पर उपलब्ध सूची में प्रत्येक कवर नम्बर के सामने अंकित बैंक रेफरेंस नम्बर को पे-इन-स्लिप डाउनलोड कर उसपर अंकित कर धनराशि जमा करना होगा।
5. धनराशि जमा कर पे-इन-स्लिप/ऑनलाइन जमा रसीद, हज आवेदन फार्म व घोषणा पत्र, मेडिकल स्क्रीनिंग एण्ड फिटनेस सर्टिफिकेट (वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर), स्वहस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट की फोटोप्रति उ०प्र० राज्य हज समिति के उक्त पते पर डाक अथवा दस्ती दिनांक 23.10.2024 या उससे पूर्व जमा करना होगा।
6. चयन होने की सूचना प्रत्येक कवर हेड के मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस के माध्यम से भेजी गयी है।
7. मेडिकल एण्ड फिटनेस सर्टिफिकेट जनपद स्तर पर सरकारी एलोपैथिक पद्धति के चिकित्सक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मान्य होगा।
8. अन्य किस्तें हवाई जहाज का किराया व अन्य व्ययों के निर्धारित होने पर अलग से सूचित किया जायेगा।

भवदीय,

(एस०पी० तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
3. मा० अध्यक्ष/सदस्यगण, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० शासन।
5. निदेशक, उ०प्र० अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई।
7. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
8. समस्त ई-सुविधा केन्द्र, समस्त जनपद, उ०प्र०।
9. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।
10. समस्त प्रशिक्षक, उ०प्र०।

(एस०पी० तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी